पत्रांक–02/विविध–53/2014, परि0

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
अररिया।

पटना, दिनांक ....

विषय :– **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1015 दिनांक–01.12.2017 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-38Q** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-38N** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नई सिरीज के अतंर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यवसायिक** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि आपके जिले में निबंधित डीलर प्वाइंट की सूची (नाम, पता, ऑथराईजेशन नं0 एवं उनका दूरभाष सं0) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं सिरीज अधियाचना में चालू सिरिज में निबंधित वाहनों तथा निर्गत निबंधन स्मार्टकार्ड की सूचना अवश्य भेजी जाय अन्यथा आपके कार्यालय को निबंधन संख्या का आवंटन रोक दिया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/विविध–53/2014, परि0 6273 पटना दिनांक– 12 12 17

प्रतिलिपि–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Bihar, Patna/ IT Manager, Computer कोषांग, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।